

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1068/12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 28/10/2024.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।

**विषय :-** जनपद बागेश्वर के विधानसभा कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत रमाणी से मनधूरा तक 3.00 किमी० मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.99 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव सं० 12710/2015।

**संदर्भ :-** आपका पत्रांक 1496/12-1-2 दिनांक 21.10.2024

महोदय,


उपरोक्त विषयगत संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रस्ताव जो इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। आपके स्तर से वृक्षारोपण का जो प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रथम चरण से दशम चरण तक अनुरक्षण कार्य एवं भूमि व जल संरक्षण की कार्यों की दर एक समान रखी गयी है, जिसका प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मानचित्रकार द्वारा ना तो प्राक्कलन को प्रमाणित किया गया है तथा प्रथम चरण से लेकर दशम चरण तक एक ही प्रकार के दरों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी प्रकार के प्राक्कलन को तैयार करने के उपरान्त आगामी वर्षों में न्यूनतम 10 प्रतिशत की धनराशि को बढ़ाया जाना अनिवार्य होता है तथा यहा पर यह भी अवगत कराना है कि उप प्रभागीय वनाधिकारी, कपकोट द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया था उनके द्वारा स्थलीय निरीक्षण की आख्या अपने स्तर से संलग्न नहीं की गयी है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में प्रेषित किये जाने वाले प्रस्तावों का भली-भांति अवलोकन करने के उपरान्त ही प्रस्ताव को इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरणों को ससमय उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

अतः उक्त मोटर मार्ग प्रस्ताव की प्रत्यावर्तन प्रति मूल में आपको लौटाया जा रहा है।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय

  
**मुख्य प्रशासनिक अधिकारी**  
**उत्तरी कुमाऊँ वृत्त**  
**उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा**

(डॉ धीरज पाण्डेय)  
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।